तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। PO साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 25/9/25 को पेश हो।
25/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रा0 पत्र अं0 आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 07.10.2025 को पेश हो।
07/10/2025	वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रा0 पत्र अं0 आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवम् बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 बाबत पत्थरगढ़ी पेश किया गया हैं। विवादित भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में किया जा चुका हैं। विवादित भूमि का प्रार्थी बाबुलाल अकेला खातेदार काश्तकार हैं। अतः प्रा0 पत्र अं0 आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाने योग्य नही पाये जाने पर न्यायहित में खारिज किया जाता हैं। मूल प्रार्थना पत्र पर बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2024 को करवा लिया हैं अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी सीमाज्ञान के अनुसार ... लगाने की कृपा करें। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 30.05.2024 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 30.05.2024 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 5325/4476, 5327/4477 कुल किता 02 कुल रकबा 3.74 है0 में प्रार्थी तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 30.05.2024 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:39 IST
Reason: SelfAttested